

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-89-23214 पार्ट-3/2024/32

दिनांक:- 18/1/24

--: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 1099 दिनांक 05.10.2020, 436 दिनांक 28.04.2020, 436 दिनांक 28.04.2020, द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकाओ द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनकी वास्तविक/काल्पनिक कार्यग्रहण दिनांक से नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मीरा सैनी, म.स्वा.कार्य.	ब्लॉक चौहटन (बाडमेर)	15.6.1991	9.10.2020	-	08.10.2022	09.10.2022
2	प्रमीला चौधरी म.स्वा.कार्य.	ब्लॉक चौहटन (बाडमेर)	25.07.1993	30.04.2020	-	29.04.2022	30.04.2022
3	शारदा म.स्वा.कार्य.	ब्लॉक चौहटन (बाडमेर)	02.07.1974	10.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
4	सरिता कुमारी म.स्वा.कार्य.	ब्लॉक चौहटन (बाडमेर)	11.06.1979	07.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
5	मंजू कुमारी म.स्वा.कार्य.	ब्लॉक चौहटन (बाडमेर)	05.12.1987	08.10.2020	-	07.10.2022	08.10.2022
6	कमलेश म.स्वा.कार्य.	ब्लॉक बालोतरा (बाडमेर)	10.10.1992	10.08.2020	-	09.10.2022	10.08.2022

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

दिनांक:- 18/1/24

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-89-23214 पार्ट-3/2024/32

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर/बालोतरा।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाडमेर/बालोतरा
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।

5. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

6. आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
5354442

निदेशक(अराजपत्रित)
Document certified by SURESH
KUMAR NAWAL <add4ng@gmail.com>
राजस्थान, जयपुर
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director